(b) Pakistan has been acquiring sophisticated weapons from a number of countries, including China.

(c) and (d) Government continue to keep a close watch on all developments *having a bearing on the country's security* and to take appropriate counter-measures.

गिल्ड आफ सर्विस एसोसिएशन और वार विडोज एसोसिएशन को अनुदान

1409. **श्री सुनील कुमार पट्टनायक:** क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले पांच वर्षों के दौरान गिल्ड आफ सर्विस और वार विडोज एसोसिएशन को उनके प्रत्येक कार्यक्रम के लिये केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड/कल्याण मंत्रालय द्वारा अनुदान के रूप में कितनी-कितनी राशि दी गई थी;

(ख) क्या यह सच है कि इन दोनों संस्थाओं का कार्य संचालन एक ही व्यक्ति द्वारा किया जाता है जोकि व्यावहारिक नहीं है; और

(ग) यदि हां, तो उपर्युक्त अवधि के दौरान उन केन्द्रों और उक्त संस्थानों से लाभांवित होने वाले व्यक्तियों का ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में युवा कार्य और खेल तथा महिला और बाल विकास विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती मारग्रेट अल्वा): (क) और (ग) केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड द्वारा दी गई अनुदान राशि के संबंध में सूचना अनुपत्र में दी गई है [**देखिए** परिशिष्ट-149, अनुपत्र संख्या 77] कल्याण मंत्रालय द्वारा दी गई अनुदान राशि का ब्यौरा एकत्र किया जा रहा है।

(ख) संस्थानों का कार्य संचालन संबंधित कार्यकारी समितियों द्वारा किया जाता है।

दिल्ली केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड के कल्याण अधिकारी के विरूद्ध भ्रष्टाचार के आरोप

1410. **श्री सुनील कुमार पट्टनायक:** क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड दिल्ली के कल्याण अधिकारी के विरूद्ध शिकायतें प्राप्त हुई हैं जिनमें उनके विरूद्ध भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाये गये हैं और क्या इन शिकायतों की बड़े अधिकारियों की मिलीभगत से निचले स्तर पर ही दबाया जा रहा है;

(ख) यदि हां तो शिकायतों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार इस संबंध में उचित कार्यवाही करने का विचार रखती है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में युवा कार्य और खेल तथा महिला और बाल विकास विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती मारग्रेट अल्वा): (क) यह सत्य है कि केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड को श्री पवन चोपड़ा के विरूद्ध निम्नलिखित संस्थाओं से शिकायतें प्राप्त हुई हैं, (i) शिव दुर्गा मंदिर कमेटी, सी० बी० 22, नया सीलमपुर, दिल्ली—110053 (शिकायत दिनांक 4-11-1986), (ii) ऊषा बाल सेवा सदन, एक्स—101, गली नं० 12, ब्रह्मपुरी, दिल्ली—110053 (शिकायत दिनाक 4-11-1986), (iii) राजगढ़ आदर्श शिक्षा समिति, गली नं० 4, राजगढ़, दिल्ली—110031 से शिकायत (दिनाक 16-11-1988) परन्तु यह सत्य नहीं है कि उपरोक्त शिकायतों को उच्च अधिकारियों की मिलीभगत से नीचे के स्तर पर ही दिबा दिया गया था। इन सभी शिकायतों पर केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड द्वारा समय से कार्यवाही की गई थी।

(ख) (i) शिव दुर्गा मंदिर कमेटी ने अपनी शिकायत में कहा कि श्री पवन चोपड़ा 15-9-86, 22-9-86, 13-10-86 और 16-10-86 को संस्था का निरीक्षण करते समय पोषाहार कार्यक्रम से संबंधित संस्था का रिकार्ड अपने साथ ले गए और उन दस्तावेजों को वापिस

करने के लिए उन्होंने 10,000/— रूपए की मांग की थी। उन्होंने यह भी धमकी दी थी कि यदि पैसा नहीं दिया गया तो वह संस्था की रिपोर्ट खराब कर देंगे।

(ii) ऊषा बाल सेवा सदन की शिकायत यह थी कि श्री पवन चोपड़ा ने रिश्वत के रूप में 8,000/— रूपए मांगे थे। जबकि संस्था का कार्य संतोषजनक था। संस्था की यह भी इच्छा थी कि कल्याण अधिकारी श्री पवन चोपड़ा को निलम्बित कर दिया जाए।

(iii) राजगढ़ आदर्श शिक्षा समिति ने यह शिकायत की थी कि संस्था ने पोषाहार कार्यक्रम के लिए केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड से अनुदान प्राप्त करने हेतु आवेदन किया था परन्तु राज्य बोर्ड द्वारा उस पर विचार नहीं किया गया। यह शिकायत की गई कि यदि संस्था श्री पवन चोपड़ा को कमीशन की 20 प्रतिशत राशि दे देती है तो वह 50,000/— रुपए के अनुदान के लिए उनके केस की सिफारिश करेगा।

(ग) और (घ) शिव दुर्गा मंदिर और ऊषा बाल सेवा सदन से शिकायते प्राप्त होने पर केन्द्रीय बोर्ड ने 7-11-86 को दिल्ली राज्य समाज कल्याण सलाहकार बोर्ड के अध्यक्ष को पत्र लिखा कि शिकायतो की जांच करके रिपोर्ट प्रस्तुत की जाए। अध्यक्ष, दिल्ली समाज कल्याण सलाहकार बोर्ड ने इन शिकायतों की जांच की और अपने 3-12-86 के पत्र द्वारा केन्द्रीय बोर्ड को सूचित किया कि लगाए गये आरोप निराधार हैं और श्री पवन चपड़ा के विरूद्ध शिकायतों मे कोई दम नहीं है। ऊषा बाल सेवा सदन और शिव दुर्गा मंदिर के सचिव ने झूठे आरोप लगाए जाने के सबंध में लिखित रूप से क्षमा मांगी और आरोप वासिप ले लिए।

केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड ने राजगढ़ आदर्श शिक्षा समिति से प्राप्त शिकायत की एक प्रति दिल्ली राज्य समाज कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष को उनकी टिप्पणी के लिए भेजी थी। राज्य बोर्ड ने अपने 11-1-89 की रिपोर्ट में बताया है कि संस्था ने 1987-88 और 1988-89 में अनुदान के लिए कोई आवेदन नहीं दिया था। संस्था ने 1986-87 के लिए पोषाहार कार्यक्रम हेतु आवेदन दिया था परन्तु अनुदान स्वीकृत करने के लिए उस पर विचार नहीं किया गया क्योंकि उनका आवेदन बोर्ड द्वारा निर्धारित शर्तों और प्रक्रियाओं के अनुरूप नहीं था संस्था के सचिव, अध्यक्ष श्रीमती मीना स्वामिनाथन से कभी नहीं मिले और न ही उन्होंने उनके ध्यान में कोई समस्या लाई। अतः अध्यक्ष महोदया के साथ उनकी बैठक के संबंध में उनका बयान मनघढ़ंत है।

चूंकि श्री पवन चोपड़ा के विरूद्ध शिकायतें निराधार साबित हुई इसलिए उनके विरूद्ध कोई अनुशासनिक कार्यवाही करना आवश्यक नहीं समझा गया।

रोजगार के लिए एक विधवा का अभ्यावेदन

1411. **श्री सुनील कुमार पट्टनायकः** क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने का कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली समाज कल्याण सलाहकार बोर्ड के लेखा अधिकारी स्वर्गीय श्री विजय नारायण कक्कड़ की विधवा, श्रीमती कुसुम कक्कड़ ने रोजगार के लिये सम्बद्ध विभाग को अनेक अभ्यावेदन दिये हैं लेकिन उन्हें कोई रोजगार नहीं दिया गया है, हालांकि वह कल्याण अधिकारी के पद के लिए योग्यता रखती हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में विलम्ब के क्या कारण हैं और क्या सरकार उक्त विधवा महिला को रोजगार देने का विचार रखती है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में युवा कार्य और खेल तथा महिला और बाल विकास विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती मारग्रेट अल्वा): (क) और (ख) दिल्ली समाज कल्याण सलाहकार बोर्ड के लेखापाल स्वर्गीय श्री विजय नारायण कक्कड़ की विधवा श्रीमती कुसुम कक्कड़ का कल्याण अधिकारी के पद पर नियुक्ति के लिए एक आवेदन पत्र 23.9.87 को दिल्ली राज्य बोर्ड में तथा दूसरा 16.11.88 को केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड में प्राप्त हुआ था।